(ज) परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक,

(झ) ऐसे शासकीय सेवक जो निलंबन में हो अथवा जिनके खिलाफ अभियोजन चल रहा हो।

**2. फरलो की शर्तें :**

1. स्वेच्छा से इस प्रयोजन के लिए आवेदन-पत्र देने पर आवेदक को कम से कम तीन वर्ष का तथा अधिकतम पांच वर्ष का फरलो दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व शासकीय सेवक फरलो से वापस नहीं आ सकेगा।

2. राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में प्रशासकीय विभाग, तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों के मामले में विभागाध्यक्ष तथा चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का फरलो स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। विभागाध्यक्ष तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के मामलों में फरलो समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्वीकृत किया जा सकेगा।

3. फरलो की अवधि में शासकीय सेवकों को अपनी इच्छानुसार देश या विदेश में कोई अन्य नौकरी या स्वरोजगार करने की स्वतंत्रता रहेगी। फरलो की समाप्ति पर सरकार सेवक जब राज्य शासन में कार्यभार ग्रहण करेगा, तो उसके द्वारा फरलो की अवधि में किए गए कार्य तथा रोजगार के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होगा।

4. फरलो की अवधि के दौरान निजी व्यवसाय अथवा नौकरी करने के बारे में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16 के उप नियम (1) के प्रावधान शिथिल रहेंगे।

5. फरलो लेने वाला शासकीय सेवक राज्य शासन के अन्य विभाग अथवा राज्य शासन द्वारा नियंत्रित तथा सहायता अनुदान प्राप्त किसी निगम, मंडल, कंपनी, स्वशासी संस्था, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय बोर्ड अथवा स्थानीय निकाय में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। राज्य शासन के इन कार्यालयों तथा संस्थाओं में वह कन्सेलटेंट के रूप में भी कार्य करने से वंचित रहेगा।

6. फरलो के प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे शासकीय सेवक के आवेदन निरस्त करें जिन्हें शासन की सेवा में रखना जनहित में है। जिन शासकीय सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही हो या शुरू की जाने वाली हो, उनके मामले में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगे। अगर आरोप इस तरह के हों कि दीर्घ शास्ति दिये जाने की संभावना प्रबल हो, तो फरलो अस्वीकृत किया जाना चाहिये। अगर अभियोजन स्वीकृति मांगी गई हो, तो इस पर निर्णय हो जाने के बाद ही आवेदन पर निर्णय लिया जाये।

7. फरलो के दौरान संबंधित शासकीय सेवकों को अवकाश देने के पूर्व देय मूल वेतन एवं उस पर देय भत्तों (महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता) की 50 प्रतिशत राशि देय होगी। शासकीय सेवक के वेतन से सामान्य भविष्य निधि, समूह बीमा योजना, मकान किराया, आयकर आदि की नियमानुसार कटौत्री की जायेगी। फरलो की अवधि में शासकीय सेवक की मृत्यु होने की दशा में उसे लागू नियमों के अनुसार परिवार कल्याण योजना अथवा समूह बीमा योजना का लाभ नियमानुसार देय होगा।

8. शासकीय सेवक फरलो अवधि में उसे आवंटित शासकीय आवास रख सकेगा और किराया अवकाश अवधि पर लागू शासकीय नियमों के अनुसार देय होगा।

9. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

10. फरलो की अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा और यह अवधि अवकाश की पात्रता हेतु गणना में नहीं ली जायेगी। फरलो के साथ अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।